न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 158/2019 रा0रा0अ0

1. भजन पुत्र रामसहाय
2. पदम पुत्र रामसहाय

समस्त जाति गुर्जर निवासी धान्या का बन्ध, भांडारेज, तहसील दौसा जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक, कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड दौसा
2. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच. 148 दौसा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड दिनांक 14.2.2019 भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा कम संख्या 298 खसरा नंबर 3722/9006 बाबत भूमि अवाप्ति धान्या का बंध भांडारेज तहसील दौसा।

उपस्थित– 1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राकेश धनकड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 29.07.2022

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 14.2.2019 के द्वारा ग्राम भांडारेज के खसरा नंबर 3722/2009 की अवाप्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण गै0मु0आबादी के स्थान पर बारानी भूमि की प्रचलित डी0एल0सी0 दर से कर दिया। उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 14.02.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की [illegible] आबादी भूमि खसरा नंबर 3722/9006 रकबा 0.1871हैक्टे. है, जिसमें प्रार्थीगण [illegible] है0 भूमि में आबादी बसी हुई है, जिसमें प्रार्थीगण अपने पुख्ता मकान [illegible] बनाकर कई वर्षों से काबिज है तथा शेष 0.0371 है0 में प्रार्थीगण ने [illegible] है। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण की कब्जेशुदा गैर मुमकिन आबादी भूमि खसरा नंबर 3722/

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

9006 को अवाप्त कर अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान क्रम संख्या 298 पर अवाप्त कर अवार्ड राशि 8,13,818/–रू0 कृषि भूमि की दर से संगणना कर पारित की गई है। जबकि प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर काफी समय से आबादी बसी हुई है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि में पुख्ता मकान, पाटोल, बाडा, चारदीवारी बनाकर रहवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान अवार्ड राशि के आदेश प्रदान करते समय सही तरीके से जांच नहीं करके मौके पर प्रार्थीगण की आबादी बसी होने के बावजूद भी कृषि भूमि के हिसाब से अवार्ड राशि पारित की गई है, जो गलत है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर बसी हुई आबादी के अनुसार निर्मितशुदा मकान, पाटोल व चारदीवारी का मुआवजा आबादी की दर से प्रदान कर दिया गया, किन्तु उक्त भूमि जिस पर आबादी बसी हुई है, का मुआवजा कृषि भूमि की दर से गलत जारी किया गया है, अपितु उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा गै0मु0 आबादी की दर से गणना कर अवार्ड आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा पारित अवार्ड आदेश गलत एवं गैर कानूनी है, जिसे निरस्त कर प्रार्थीगण को वाके ग्राम धान्या का बंध, भांडारेज के खसरा नंबर 3722/9006 का मुआवजा गैर मुमकिन आबादी की दर से दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के यहाँ उक्त बाबत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार दौसा के जरिये पटवारी हल्का से जांच कराई गई तथा पटवारी हल्का के द्वेारा जांच कर तहसीलदार दौसा ने अपने पत्र कमांकः 6120 दिनांक 20.6.2019 को उक्त भूमि खसरा नंबर 3722/9006 की मौके जांच के अनुसार 0.1871 में से 0.15है. भूमि पर पुरानी आबादी बसी हुई होना बताया है तथा शेष रकबे 0.0371है. में फसल होना बताया है। इसलिए तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा गै0मु0आबादी की दर से दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 3722/9006 की खसरा गिरदावरी संवत 2071 से 2074 में भी उक्त भूमि आबादी दर्ज है, जिससे भी यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि में पूर्व से ही आबादी बसी हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार दौसा से मंगवाने के उपरांत भी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा गै0मु0आबादी की दर से दिये जाने के आदेश प्रदान नहीं किये गये है। उक्त गै0मु0 आबादी भूमि का ग्राम पंचायत भांडारेज द्वारा दिनांक 20.11.2014 को प्रार्थी पदम स्वयं के नाम एवं प्रार्थी भजन के पुत्र के नाम जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा गाम पंचायत भांडारेज द्वारा जारी मूल पट्टे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाया जाकर ... पत्र मे वर्णित ग्राम संख्या 298 खसरा नंबर 3722/9006 वाके ग्राम धान्या का बंध ... तहसील दौसा के संबंध मे पारित अवार्ड आदेश दिनांक 14.2.2019 में ... गै0मु0 आबादी की दर से दिये जाने के आदेश अप्रार्थीगण को प्रदान ... माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर के द्वारा एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 11265/2020 उनवानी पदम

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....3 पर

वगै0 बनाम एन.एच.ए.आई. वगै0 में पारित आदेश दिनांक 15.2.2021 की प्रति पेश की गई जिसमे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका निस्तारित की जाकर जिला कलक्टर (मध्यस्थ) दौसा को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) का तीन माह में निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थिगण की भूमि खसरा नंबर 3722/9006 किस्म बारानी प्रथम रकबा 0.1871है0 भूमि अवाप्त की गई थी। राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार मुआवजा राशि रू0 8,13,818/— का अवार्ड दिनांक 14.2.2019 को प्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया जा चुका है। यहॉ यह बात गौर करने लायक है कि प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि की असिंचित प्रकार की भूमि है, जिसका राजस्व रिकार्ड के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की है। प्रार्थीगण द्वारा यदि अवाप्तशुदा भूमि में किसी प्रकार का रिहायशी मकानात, बाडा, पाटोल आदि का निर्माण कर रखा है, तो केवल मात्र निर्माण के आधार पर ही अवाप्तशुदा भूमि आबादी नहीं हो जाती है। प्रार्थीगण ने अवाप्तशुदा भूमि का किसी भी सक्षम अधिकारी से भूमि रूपांतरण नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म कृषि भूमि ही है, जिसका प्रार्थीगण कृषि भूमि की दर से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत भांडारेज द्वारा जारी पटटों पर कोई खसरा नंबर का भी अंकन नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि ग्राम पंचायत भांडारेज द्वारा खसरा नंबर 3722/9006 में पटटे जारी किये गये है। ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पटटे जारी किये जाने का काई अधिकार भी नहीं है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि व उस पर निर्मित मकानात का समुचित मुआवजा निर्धारण कर अवार्ड पारित किया जा चुका है। अब प्रार्थीगण इस स्तर पर माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा की गई जांच व तहसीलदार दौसा द्वारा पत्र कमांक: 6102 दिनांक 20.6.2019 में अवाप्तशुदा भूमि पर आबादी होना दर्शित किया गया है। उक्त रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि संपरिवर्तित भूमि थी। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त रिपोर्ट का गलत आकलन कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की गरज से गलत तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि संपविवर्तित भूमि नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा द्वारा अवार्ड पारित किया गया है जो सही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी [illegible] दौसा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पत्र कमांक:1920 दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील दौसा स्थित खसरा नंबर 3722/9006 रकबा 0.25है. में से 0.1871है. भूमि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे एन.एंच.148 एन सडक निर्माण हेतु अवाप्त की जाकर दिनांक 14.2.2019 को अवार्ड जारी किया गया है। राजस्व रिकार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....4 पर

जमाबंदी के अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील दौसा स्थित खसरा नंबर 3722/9006 रकबा 0.25है. किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकार्ड है। अवाप्त भूमि पर निर्मित संरचनाओं के सर्वे की तहसीलदार दौसा व रामस्व कर्मियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मूल्यांकन गणना करवाई गई। प्रार्थी भजन पुत्र रामसहाय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा को अवार्ड संबंधी आपत्ति दिनांक 17.5.2019 को प्रस्तुत की गई जिसे जांच के लिए तहसीलदार दौसा को भेजा गया। तहसीलदार दौसा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:6102 दिनांक 20.6.2019 के अनुसार खसरा नंबर 3722/9006 की मौके की जांच के अनुसार 0.1871 है. है जिसमें से 0.15है0 भूमि में पुरानी आबादी बसी हुई होना बताया है। भारतमाला परियोजना अंतर्गत दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे एन.एच.148 एन सडक निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 3722/9006 रकबा 0.25है0 में से 0.1871है. भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे एन.एच.148 एन सडक निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी प्रथम दर्ज है जिसके आधार पर भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थीगण की आपत्ति की जांच की जाकर अवाप्तशुदा भूमि पर पुरानी आबादी बसी हुई होना जाहिर किया है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि संपरिवर्तित भूमि नहीं होने से प्रार्थीगण को चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 3722/9006 रकबा 0.25है0 में से 0.1871है. भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे एन.एच.148 एन सडक निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी प्रथम दर्ज है जिसके आधार पर भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण की आपत्ति के मुताबिक खसरा नंबर 3722/9006 में से प्रस्तुत गिरदावरी संवत संवत 2071 से 2074 में उक्त भूमि के रकबा 0.15है. में आबादी दर्ज है। प्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर संरचना का मुआवजा पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा खसरा नंबर 3722/9006 का किसी प्राधिकृत अधिकारी से भूमि रूपान्तरण नहीं करवाया गया है। संपरिवर्तन के अभाव में बारानी कृषि भूमि का आबादी की दर से मुआवजा दिया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत भांडारेज द्वारा जारी पटटो का भी अवलोकन किया गया जिसमें यह प्रमाणित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....5 पर

होता है कि ग्राम पंचायत भांडारेज ने प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 3722/9006 पर पटटे जारी किये गये है। ग्राम पंचायत को खातेदारी कृषि भूमि पर पटटे जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अवार्ड की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ग्राम भांडारेज स्थित भूमि खसरा नंबर 3722/9006 में से 0.1871है0 असिंचित भूमि हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित भूमि अवाप्त की गई है, जिसका मुआवजा असिंचित भूमि की दर से पारित किया गया है। इस प्रकार हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 3722/9006 जो कि राजस्व रिकार्ड में असिंचिंत दर्ज है, एवं आबादी भूमि में संपरिवर्तन का आदेश नहीं होने से गैर मुमकिन आबादी की दर से मुआवजा अनुतोष न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested